न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

अपील संख्या 11/2024 तारीख रजू 29.02.2024

मानसिंह पुत्र राधाकिशन जाति बैरवा निवासी ग्राम मेईकलां तहसील खण्डार ---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, खण्डार ----- रेस्पोडेन्ट

उपस्थित -- श्री हरिशंकर बैरवा एड0 – अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 12.08.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, खण्डार द्वारा मुकदमा नं0 222/2024 मे पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मेईकलां के आराजी खसरा नम्बर 1086/11 रकवा 0.10 बीघा किस्म गै0मु0 नाला पर गुमटी लगाकर चबूतरा बनाकर बाड लगाकर संवत 2080 फसल रबी में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति अधिरोपित करने के साथ साथ 3 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपांस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वार्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का फैसला विधि के विरूद्ध एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने ख0नं0 1086/11 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै0मु0 नाला पर गुमटी लगाकर व फसल रबी में राजकीय भूमि सम्वत् 2080 पर अतिक्रमण कर लिया जिसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की गई ना मौका देखा गया है हल्का पटवारी की झूंठी शिकायत को सत्य मानकर गलत निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि उक्त गुमटी व देवता का चबूतरा तथा रबी फसल प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की खातेदारी जमीन ख0नं0 1106/11 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा पर बना रखा है तथा फसल काश्त कर रखी है। प्रार्थी ने कोई सरकारी भूमि गै0मु0नाले पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं कर रखा है। यह कि अपीलान्ट ने हल्का पटवारी की मौके पर ले जाकर अपना कब्जा नहीं होने बाबत् भी कहा गया था लेकिन हल्का पटवारी ने श्रीमान को रिपोर्ट कर गलत ढंग से नोटिस जारी कराये गये जबकि ग्राम पंचायत व गांव के किसी व्यक्ति ने आज तक अतिक्रमण होने या करने की शिकायत भी नहीं की गई है ना प्रार्थी अपीलान्ट अतिक्रमण करने प्रयासरत है ना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलान्ट को अधीनस्थ

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

न्यायालय फैसला करने से पूर्व अपना पक्ष रखने व पूर्ण सुनवायी का अधिकार नहीं देने तथा मौके की भौतिक सत्यापन नहीं करने से अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चात्वर्ती अतिक्रमी साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट स्वयं की तामील होने पर अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय, इसके संबंध में कोई दस्तावेज, रिपोर्ट, नोटिस आदि संलग्न नहीं है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 13.02.2024 में अपीलान्ट के ख0नं0 1086/11 रकबा 0.10 बीघा में गुमटी लगाकर चबूतरा बनाकर बाड लगाकर अतिक्रमण करना बताया है किन्तु पत्रावली में इस संबंध में पर्याप्त तथ्य संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया हैं। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती होने के पुख्ता/पर्याप्त सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण नायब तहसीलदार, खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि वर्तमान में अतिक्रमण पाया जावे तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को बहाल रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर